(23)

सं0 334 /IV(2)-श0वि0–10–10(सा0)/08

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 17 ~~फरवरी~~ मार्च, 2011

विषयः– एकीकृत कम लागत सफाई योजना, 2008 के अन्तर्गत केन्द्रांश से प्रस्ताव स्वीकृत होने की प्रत्याशा में राज्य सैक्टर से धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पत्र संख्या 210/सूडा/2010–11 दिनांक 13–10–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित नगर निकायों में प्राप्त शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु धनराशि अवमुक्त करने की अपेक्षा की गयी है:–

क्र0सं0	निकाय का नाम	शुष्क शौचालयों की संख्या	प्रति यूनिट लागत (₹ में) (लागत का 90 प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत (लाख ₹ में)	कार्यरत मैला ढोने वालों की संख्या
1	जसपुर	286	9000	25.74	29
2	महुआखेड़ागंज	09	9000	0.81	02
3	दुगड्डा	49	11250	5.51	11
4	किच्छा	186	9000	16.74	09
		530		48.80	51

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित 530 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने हेतु राज्य सैक्टर से **₹ 48.80 लाख (₹ अड़तालिस लाख अस्सी हजार)** की धनराशि (जिसमें केन्द्रांश ₹ 40.67 लाख एवं राज्यांश ₹ 8.13

लाख सम्मिलित है) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 24–12–2010 के क्रम में उपरोक्त शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार को डी0पी0आर0/प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा तथा प्राप्त केन्द्रांश ₹ 40.67 लाख को राज्य सैक्टर से अवमुक्त उपरोक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर **निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है।
4. उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
5. व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।
7. उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत करते हुए त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति सहित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या–13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।
9. यदि किसी बिन्दु पर भारत सरकार की गाईड लाईन्स व राज्य समन्वय समिति के निर्देशों में विरोध हो तो उस दशा में भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
10. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **₹ 38.56 लाख** की धनराशि तथा **अनुदान सं0–30,** लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **₹ 8.78 लाख** तथा **अनुदान सं0–31,**

लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **₹ 1.46 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 606/XXVII(2)/2011, दिनांक 09 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0 334 (1)/IV(2)-श0वि0–11,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।